

राज्यात सन २०१९-२० मध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत खालील घटक राबविण्यात येणार आहेत.

| अ.क्र. | घटक | ग्राह्य प्रकल्प खर्च | अर्थसहाय्याचे स्वरूप |
|--|---|--|--|
| अ. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | | | |
| १ | गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य लहान रोपवाटीका तयार करणे. | रु. १५.०० लाख प्रती हेक्टर | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ७.५० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) (खाजगी क्षेत्र) |
| २ | क्षेत्र विस्तार | | |
| | १. हळद लागवड व रोपवाटीका | सरासरी लागवड खर्च रु. ०.३० लाख प्रति हे. (जास्तीत जास्त १ हे. प्रति लाभार्थी) | लागवड साहित्य खर्चाच्या ४० टक्के किंवा रक्कम रु.०.१२ लाख/हे. |
| | २. स्ट्रॉबेरी लागवड (टिबकसह) | सरासरी लागवड खर्च रु. २.८० लाख प्रति हे. (जास्तीत जास्त १ हे. प्रति लाभार्थी) | लागवड साहित्य खर्चाच्या ४० टक्के किंवा रक्कम रु. १.१२ लाख /हे. |
| ३ | जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन १. संत्रा, २. मोसंबी, ३. आंबा (प्रति लाभार्थी २ हे. मर्यादित) | रु. ०.४० लाख प्रति हे. | ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु.०.२० लाख प्रती हेक्टर |
| ४ | अळिंबी उत्पादन प्रकल्प | | |
| | १. अळिंबी उत्पादन प्रकल्प | रु. २०.०० लाख प्रति युनिट | खर्चाच्या ४० टक्के किंवा रु.८.०० लाख /युनिट (बँक कर्जाशी निगडीत) |
| | २. अळिंबी वीज उत्पादन प्रकल्प | रु. १५.०० लाख प्रति युनिट | खर्चाच्या ४० टक्के किंवा रु. ६.०० लाख /युनिट (बँक कर्जाशी निगडीत) |
| | ३. कम्पोस्ट मॅकिंग युनिट | रु. २०.०० लाख प्रति युनिट | खर्चाच्या ४० टक्के किंवा रु.८.०० लाख /युनिट (बँक कर्जाशी निगडीत) |
| ५ | संरक्षित शेती - | | |
| | १. हरीतगुह उभारणी (प्रति लाभार्थी ०.४० हे. मर्यादित) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी रु.८४४ ते रु. १४६५ प्रती चौ.मी. (मॉडेलनुसार) व डोंगराळ क्षेत्रासाठी १५ टक्के जास्त | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के |
| | २. शेडनेट गुह उभारणी (प्रति लाभार्थी ०.४० हे. मर्यादित) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी रु.७१० ते रु.८१६ प्रती चौ.मी. (मॉडेलनुसार) व डोंगराळ क्षेत्रासाठी १५ टक्के जास्त | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के |
| | ३. उच्च दर्जाचे लागवड साहित्य हरितगुह - फुले व भाजीपाला शेडनेटगुह - फुले | रु. १४० ते ७०० प्रती चौ.मी. विविध फुलपिके व भाजीपाला पिकांनुसार | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के |
| | ४. प्लास्टिक मल्टीप्लिंग (प्रति लाभार्थी २ हे. मर्यादित) | रु. ३२,०००/- प्रती हे. सर्वसाधारण क्षेत्र रु. ३६,८००/- प्रती हे. डोंगराळ क्षेत्र | रु. १६,०००/- प्रती हे. सर्वसाधारण क्षेत्र रु. १८,४०० प्रती हे. डोंगराळ क्षेत्र |
| ६ | कांदाचाळ | रु. ७००० प्रती मे.टन | खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ३५००/- प्रती मे.टन (१५, २०, २५ मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळीसाठी) |
| ७ | मधुमक्षिका पालन- | | |
| | बी-ब्रीडरकडून मधुमक्षिका वसाहतीचे उत्पादन करणे | प्रकल्प खर्च रु. १०.०० लाख | प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के किंवा रु. ४.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) |
| | मधुमक्षिका वसाहत संच वाटप | रु.२०००/- प्रति वसाहत किंवा संच | खर्चाच्या ४० टक्के (रु. ८००/- प्रती वसाहत /संच) |
| काढणीपश्चात व्यवस्थापन | | | |
| ८ | प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र (फलोत्पादित पिके) | प्रकल्प खर्च रु.२५.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) | अ. सर्वसाधारण क्षेत्र- ४० टक्के ब. डोंगरी व अधिसूचित क्षेत्र- ५५ टक्के |
| ९ | शितखोली (३० मे. टन क्षमता) | प्रकल्प खर्च रु. १५.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) | अ. सर्वसाधारण क्षेत्र ३५ टक्के ब. डोंगरी व अधिसूचित क्षेत्र ५० टक्के |
| १० | पूर्वशितकरण गुह (६ मे. टन क्षमता) | प्रकल्प खर्च रु. २५.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) | अ. सर्वसाधारण क्षेत्र ३५ टक्के ब. डोंगरी व अधिसूचित क्षेत्र ५० टक्के |
| ११ | एकात्मिक पॅक हाऊस (रु. ५०.०० लाख प्रकल्प खर्च) (१ मी = १८ मी. आकारमान) | प्रकल्प खर्च रु. ५०.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) | अ. सर्वसाधारण क्षेत्र ३५ टक्के ब. डोंगरी व अधिसूचित क्षेत्र ५० टक्के |
| | १२ | शितगुह (अधिकतम ५००० मे. टन क्षमता) | प्रकल्प खर्च प्रति मे.टन रु. ८०००/- (Type-I) रु. १००००/- (Type-II) (बँक कर्जाशी निगडीत) |
| १३ | एकात्मिक शितसाखळी | प्रकल्प खर्च रु. ६००.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) | अ. सर्वसाधारण क्षेत्र ३५ टक्के ब. डोंगरी व अधिसूचित क्षेत्र ५० टक्के |
| | | | |

| अ.क्र. | घटक | ग्राह्य प्रकल्प खर्च | अर्थसहाय्याचे स्वरूप |
|--------|--|--|---|
| १४ | रेफ्रिजरेटर व्हॅन (४ ते ९ मे. टन क्षमता) | प्रकल्प खर्च रू. २६.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडित) | अ. सर्वसाधारण क्षेत्र ३५ टक्के ब. डोंगरी व अधिसूचित क्षेत्र ५० टक्के |
| १५ | रायपनिंग चेंबर (अधिकतम ३०० मे. टन क्षमता) | प्रकल्प खर्च रू. १.०० लाख प्रति मे. टन (बँक कर्जाशी निगडित) | अ. सर्वसाधारण क्षेत्र ३५ टक्के ब. डोंगरी व अधिसूचित क्षेत्र ५० टक्के |
| १६ | फिरते विक्री केंद्र (राज्य/राष्ट्रीय महामार्गां लागतच्या शेतकरी/ शेतकरी गट) | रू. ०.३० लाख प्रति युनिट. | खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ०.१५ लाख |